16/12/19 व. प्रार्थी उपस्थित शेष अप्रार्थी नोटिस के बावजूद भी अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है व प्रार्थी की बहस सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA व का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण श्याम बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं के रहने वाले है वो के श्याम बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं के प्रार्थीगण की खसरा कास्त व खातेदारी कुल खसरा नं. 704/884 रकबा 0.21 है, खसरा नं. 715 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 716 रकबा 6.17 है कुल किता - 3 का कुल रकबा 6.39 है विवाद है जिसको पटवारी हल्का मंडा भिंडा के दिनांक 12/6/2019

फर्द अहकाम

जगन्नाथ वगै० **बनाम** मोहनपुरी वगैरह

...म न्यायालय

...स संख्या 88/12

प्रा. पत्र 130 L.R. Act 09

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		को किया गया तथा मुताबिक निर्णय के आधार पर उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रा. पत्र पेश किया गया जो प्रा. पत्र उनवानी जगन्नाथ वगै० बनाम मोहनपुरी वगै० मु० नं० 46/2010 की पूर्ण सुनवाई कर न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्णय दिनांक 19/10/2011 को किया जाकर मुताबिक निर्णय अनुसार तहसीलदार चौमूं को किया जाकर मुताबिक निर्णय अनुसार तहसीलदार चौमूं को पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये गये थे तथा तहसीलदार चौमूं के आदेशानुसार कानूनगो पश्चिम हलका नांगल भिण्डा व पटवारी हलका हस्तेड़ा व गिरदावर हलका द्वारा दिनांक 23/5/2012 को पत्थरगढ़ी की गई तथा मौके पर सही नाप कर पत्थर गाड़े गये	

फर्द अहकाम

जगन्नाथ पुरी बनाम मालुपुरी व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 88/2017 प्रा.पत्र 130 L.R. Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		तथा प्रार्थीगण के अपनी खातेदारी भूमि के मुताबिक पत्थरगढ़ी अनुसार चारों तरफ लोहे के तारों से तारबन्दी की हुई थी। तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण जो कि संख्या के अधिक होने से प्रार्थीगण से रंजिश रखते है तथा प्रार्थीगण को काश्त कार्य करने व प्रार्थीगण की पश्चिमी सीमा पर लगी तारबन्दी को भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से दिनांक 4/7/2015 को पश्चिमी सीमा पर लगी तारबन्दी को व पत्थरों को उखाड़कर चोरी की नियत से अप्रार्थीगण लगभग 6 गाँठें व तारबन्दी को क्षति पहुँचाकर ले गये। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण के पिता द्वारा दिनांक 5/7/15 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध रिपोर्ट थाना गोविन्दगढ़ मे	

फर्द अहकाम

जगन्नाथ वगै. बनाम मालपुरी व अन्य

...म न्यायालय

...स संख्या 88/2017 प्रा. पत्र 130 LRA Act

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		उप करवायी गई है। पत्थरगड़ी उखाड़ने वालों व तारबन्दी को तोड़ दी जिससे प्रार्थीगण की भूमि की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तथा विपक्षी नाजायज कब्जा का प्रयास कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण को उक्त पत्थरों को उखाड़ देने से काफी नुकसान हुआ है। अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 704/884, रकबा 0.22 है0, ख.नं. 715 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 716 रकबा 6.17 है0, कुल किता-3 का कुल रकबा 6.39 है0 ग्राम बावड़ी गोपीनाथ तहसील चौमूं की भूमि की न्यायालय ... के आदेशानुसार अधिकारी ... द्वारा की गई पत्थरगढ़ी के पश्चात सीमा के पत्थरों को पुनः निशान करवाया जाकर पुनः तारबन्दी करवायी जावे।	

फर्द अहकाम

जगन्नाथ वगै॰ बनाम मातु पुरी व॰

नाम न्यायालय

केस संख्या 88/2012 प्रा॰पत्र 130 L A Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		तथा अप्रार्थीगण द्वारा अकाद्मिक वस्त्र क्षेत्र किये गये उक्त क्षेत्र के लिए अप्रार्थीगण / भगवान 6 को दर्ज किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के बीच कृषि विवादग्रस्त ख॰न॰ 704/884, रकबा 0.21 है॰, 715 रकबा 0.01 है॰, ख॰न॰ 716 रकबा 6.17 है॰ कुल किता 3 का कुल रकबा 6.39 है॰ ग्राम जावडी गोपीनाथ की परिस्थिति सीलिंग के उपलब्ध को फुनः निर्धारित कर फुनः नामान्तरण कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार तहसील खंडेला को भिजवा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.05 12:14:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: